

न्यायालय जिला कलेक्टर, सिरौही (राज.)
बईजलास श्री भगवती प्रसाद, आई.ए.एस.

पंचायत निगरानी सं. 03/2019

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, पिण्डवाड़ा जिला सिरौही		1. सरपंच ग्राम पंचायत, आदर्श/रामपुरा
		2. श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नि श्री दिनेश कुमार जाति पुरोहित निवासी डूंगरी ग्रा0प0 रामपुरा तह0 पिण्डवाड़ा जिला सिरौही

पंचायत निगरानी प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

उपस्थिति:-

1. श्री नटवरलाल जीनगर, सहायक विकास अधिकारी प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री हंसराज पुरोहित, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या दो की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 15.01.2021

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने यह निगरानी प्रार्थना-पत्र राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत सरपंच ग्राम पंचायत, आदर्श/रामपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या दो के हक में जारी किया गया पट्टा संख्या 10185 दिनांक 28.10.2014 क्षेत्रफल वर्गफीट 1750 को निरस्त कराने हेतु इस बिनाय पर प्रस्तुत किया कि उक्त पट्टा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के तहत नियम विरुद्ध जारी किया गया है । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये । अप्रार्थी संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित ने वकालतनामा के उपस्थिति दी एवं जवाब प्रस्तुत किया । प्रकरण में दोनों पक्षों की विस्तृत बहस सुनी गई ।

प्रार्थी की ओर से दौराने बहस मेरा ध्यान प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या दो को नियमों के विपरित पट्टा जारी किया है । पंचायत के अभिलेख में भूमि के विक्रय के संबंध में मिसल दायर संख्या 197 दिनांक 20.07.2014 को दर्ज की गई है तथा पट्टे में भी मिसल संख्या 197 दिनांक 20.07.2014 दर्ज है आपत्ति नोटिस जारी किया है अप्रार्थी संख्या 2 अति निर्धन होने एवं अन्य कोई भूखण्ड नहीं होने का कोई उल्लेख नहीं है । शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच के आधार पर ही निगरानी प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पंचायत द्वारा नियमों की अवहेलना कर पट्टा जारी किया गया है, इस कारण पंचायत को आर्थिक क्षति हुई है । पंचायत स्तर पर नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही, जांच सम्पन्न नहीं की गई है । अप्रार्थी संख्या दो नियम 157(2) के तहत पट्टा प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति नहीं थी ।

अप्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री हंसराज पुरोहित द्वारा दौराने बहस में ध्यान निगरानी में प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि पंचायत द्वारा प्रस्ताव लेकर अप्रार्थी संख्या दो को नियम 157(2) के तहत पुराने भूखण्ड का पट्टा निःशुल्क जारी किया गया है जो नियमानुसार सही है । इस संबंध में उन्होंने दौराने बहस निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या-एक द्वारा राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1961 के नियमों के तहत कार्यवाही कर ही पट्टा जारी किया गया है । अप्रार्थी संख्या-2 द्वारा इस संबंध में कोई अनियमितता पट्टा प्राप्त करते समय नहीं की गई है विवादित



जिला कलेक्टर, सिरौही

भूमि पर अप्रार्थिया का वर्षो पुराना मकान बना हुआ था । अतः पट्टा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज विभाग, राज.जयपुर के दिशा निर्देशों की पालना की गई है। अनियमितता करने के कथन सर्वथा गलत है। यह निगरानी म्याद बाहर होने से अपरिपोषणीय है। राजस्थान सरकार के दिशा-निर्देश पंचायती राज के नियम नहीं है। अप्रार्थी संख्या एक ने यथा संभव उसे प्राप्त पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों की पालना की है उक्त दिशा निर्देश 'सक्ष निर्देश' की श्रेणी में आते हैं । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा-61 के तहत अधिनस्थ पंचायत के आदेशों के विरुद्ध अपील आदेश के 30 दिनों के भीतर पंचायत समिति को करनी चाहिए थी। पंचायत प्रसार अधिकारी को जांच करने का कोई अधिकार नहीं था । उनके द्वारा की गई जांच सर्वथा गलत एवं बेबुनियाद है । अन्त में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन किया कि गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी प्रस्तुत की गई है। अतः निगरानी प्रार्थना पत्र अपरिपोषणीय होने से खारिज किया जावे। इस संबंध में उनके द्वारा ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की अधिसूचना क्रमांक/1166 दिनांक 9.4.2007 एवं प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग जयपुर द्वारा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान को लिखे पत्रांक 1349 दिनांक 21.4.2007 की फोटो प्रति प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 द्वारा संशोधन करते हुए राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 157(2) जोड़ा गया है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोपडी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है उन्हें 300 वर्गगज तक का भूखण्ड निशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा। अतः मैं विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जावे ।

उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया । प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं पत्रावली का भलिभौति नियमों के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो निष्कर्ष निम्न प्रकार है :-

जहाँ तक अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का प्रश्न है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत निगरानी पेश करने हेतु कोई अवधि निर्धारित नहीं है । किसी पंचायती राज संस्था के विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के बारे में या ऐसी कार्यवाहियों के बारे में स्वयं का समाधान करने एवं उसकी परीक्षा स्वप्रेरणा से करने के राज्य सरकार के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त है ।

अप्रार्थी संख्या दो को उक्त पट्टा ग्राम पंचायत, आदर्श/रामपुरा द्वारा पंचायत के प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 22.09.2014 से नियमों की अवेहलना कर निःशुल्क जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज सामान्य नियम 1996 के नियम 157(2) के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोपडी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है उन्हें 300 वर्गगज तक का भूखण्ड निशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा। अप्रार्थी संख्या 2 के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपने जवाब के पेज संख्या 2 के पेरा संख्या 2 में यह स्वीकार किया गया है कि अप्रार्थी संख्या 2 सुन्दरबाई का अधिकारवान कब्जा (Rightful Possession) वर्ष 2005 से होने का कथन अंकित किया गया है। नियम 157(2) में बना हुआ मकान 2003 से पूर्व का होने पर ही पट्टा जारी किया जा सकता है। इस प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 का संपूर्ण 1750 फुट भूमि पर मकान एवं पुराना कब्जा एवं विक्रय इकरारनामा दिनांक 22.10.2005 का प्रस्तुत करने से 2003 से पूर्व का कब्जा साबित नहीं होता है।



जिला कलेक्टर, सिरोही

जहां तक अप्रार्थी संख्या 2 के लायक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किया गया है इस संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत विधिक दृष्टान्त डीएनजे 1999 पेज 781, 437 डीएनजे 1996 पेज 100 आरजेटी 2016(1) पेज 99 एसएआर 1997 पेज 783, आरएलडब्लू 1999(3) राजस्थान पेज 1390, आरएलडब्लू 1997(3) राजस्थान पेज 1567 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 97 का प्रयोग करते समय परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग करने हेतु राज्य सरकार की शक्तियाँ जिला कलेक्टर को दी गई हैं। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत परिसीमा की अवधि के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षणीय शक्तियों का प्रयोग अभिनिर्धारित न्यायोचित अवधि के भीतर करने का निर्णय दिया गया है साथ ही न्यायोचित अवधि प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगी।

अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना पत्र देरी से प्रस्तुत किये जाने का कथन है, कि यह निगरानी प्रार्थना पत्र 5 साल बाद प्रस्तुत किया है अप्रार्थी संख्या 2 का यह कथन सत्य है, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा भी प्रस्तुत विधिक दृष्टान्तों में पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करना माना गया है, एवं ऐसे प्रकरण में भी समयावधि के बारे में उचित अवधि का सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। अप्रार्थी संख्या दो महिला हैं एवं राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 9.4.2007 से राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 में नई धारा 157(2) जोड़ी गई है जिसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नहीं है और उन्होंने वर्ष 2003 तक कोई झोपड़ी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है उन्हें 300 वर्गगज तक का भूखण्ड निशुल्क नियमित कर दिया जायेगा और इसका पट्टा महिला मुखिया के नाम जारी किया जायेगा। उक्त प्रकरण में इसकी पालना की नहीं गई है अतः ऐसी स्थिति में पट्टेधारी का पट्टा खारिज कर उसे मौके से बेदखल करना न्याय संगत होगा। सरपंच, ग्राम पंचायत, आदर्श/रामपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी नियमों की अवहेलना कर ग्राम पंचायत, आदर्श/रामपुरा को आर्थिक क्षति पहुँचाया जाना पाया जाता है ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी संख्या 2 को जारी पट्टा संख्या 10185 दिनांक 28.10.2014 क्षेत्रफल 1750 वर्गफीट को निरस्त किया जाता है।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।



(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही